राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर
(दूरभाष–0141–2705638)

क्रमांकः F(ISSNIP)(06)/AAP/04/2014 / 97521-539 जयपुर, दिनांक 22-7-2016

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,

जिला – डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, चूरू, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, जयपुर, झुन्झुनू, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बाराँ एवं कोटा

विषयः– ISSNIP जिलों में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने बाबत।
प्रसंगः–निदेशालय का पत्र क्रमांक 108872–891 दिनांक 23.12.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत ICDS System Strengthening and Nutrition Improvement Project (ISSNIP) के पुनर्संरचना के तहत अगस्त, 2016 से दिनांक दिसम्बर, 2016 तक Communication for social and behavior changes के तहत आपके अधीन संचालित प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर प्रतिमाह एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए DLI Target निर्धारित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर नियमित रूप से गोदभराई, अन्नप्राशन एवं आंगनबाडी प्रवेशोत्सव के सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

ISSNIP योजनान्तर्गत 19 जिलों में सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन निम्नलिखित कलेण्डर अनुसार किया जाना हैः–

गतिविधि	दिनांक	थीम / विषय
सामुदायिक कार्यक्रम IX	11 अगस्त 2016	गोद भराई
सामुदायिक कार्यक्रम X	8 सितम्बर 2016	अन्नप्राशन
सामुदायिक कार्यक्रम XI	6 अक्टूबर 2016	प्रवेशोत्सव
सामुदायिक कार्यक्रम XII	10 नवम्बर 2016	गोद भराई
सामुदायिक कार्यक्रम XIII	08 दिसम्बर 2016	अन्नप्राशन

इन सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु ISSNIP के तहत संचालित समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों को वर्ष 2016–17 में बजट मद 2236–02–101–(01)–[10]–29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन से 250 रुपये प्रति माह प्रति आंगनबाडी केन्द्र की दर से बजट आवंटन करते हुए प्रतिमाह एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर उपरोक्तानुसार सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर निर्धारित DLI Target पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं जिला स्तर से भरा जाने वाले प्रपत्र में सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक issnipraj2@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना प्रपत्रों का संधारण आंगनबाड़ी केन्द्र, सेक्टर, परियोजना व जिला स्तर पर भी किया जाना सुनिश्चित

करें। यह उल्लेखनीय है कि निर्धारित सूचना प्रपत्रों का उचित संधारण नहीं होने की स्थिति में कार्यक्रम का आयोजन शून्य मानते हुए सम्बन्धित से राशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ. समित शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक, ISSNIP एवं
निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: F(ISSNIP)(06)/AAP/04/2016/97540-729 जयपुर, दिनांक 22-7-2016

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. परियोजना निदेशक, ISSNIP महिला एवं बाल मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को संलग्न सूची अनुसार बजट आवंटन करने हेतु।
4. उप निदेशक (ए.सी.पी.) वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (ISSNIP) से सम्बन्धित।
6. श्री आदेश चतुर्वेदी, स्टेट टेक्निकल स्पेशलिस्ट, विश्व बैंक,.राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

(स्मिता सरीन)
संयुक्त परियोजना समन्वयक (वित्त)
ISSNIP